भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)

***

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2795

(दिनांक 17.12.2025 को उत्तर के लिए)

संसद सदस्य के पत्रों का उत्तर

†2795. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला परिषदों, नगर पालिकाओं, राज्य सरकार के अधीन विभागों और केन्द्र सरकार के अधीन मंत्रालयों के सरकारी प्राधिकारियों को संसद सदस्य के आधिकारिक पत्र का उत्तर देने की अपेक्षित समय-सीमा या अधिदेशित अवधि (यथा 30, 60 या 90 दिनों के भीतर) का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी विभागों और लोक सभा सदस्यों के बीच समन्वय और सूचना को नियंत्रित करने वाले मानदंड, नियम या प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने, केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति मैनुअल (सीएसएमओपी) में विहित किए अनुसार पद्धति और दिशानिदेश निर्धारित किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों से प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई किए जाने से भी संबंधित हैं। सीएसएमओपी में यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे पत्रों का शीघ्रता से निपटान किया जाए। यदि कोई पत्र, मंत्री महोदय को संबोधित है, तो जहां तक संभव हो, मंत्री महोदय को स्वयं उसका उत्तर देना चाहिए। संसद सदस्यों से प्राप्त प्रत्येक पत्र की पावती, 15 दिनों के भीतर भिजवाई जाए, और पावती भेजे जाने के अगले 15 दिनों के भीतर उसका उत्तर दिया जाए। यदि उत्तर भेजे जाने में किसी प्रकार की देरी की आशंका हो, अथवा उसके संबंध में जानकारी, किसी अन्य मंत्रालय या अन्य कार्यालय से प्राप्त करनी हो, तो 15 दिनों के भीतर (पत्र प्राप्त होने की तिथि से) एक अंतरिम उत्तर भेजा जाए, जिसमें अंतिम उत्तर दिए जाने की संभावित तिथि बताई जाए। ये दिशानिदेश, https://darpg.gov.in/relatedlinks/csmop पर उपलब्ध हैं।

*****